

18/03/2021

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगाई गई। किन्तु वादियां स्वयं या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली में कुल शुमार व दर्ज नम्बर से कम होकर दारिद्वार टाफर है।

By

~~चपरबण्ड अधिकारी~~
वेतनी (उद्योग)

